(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1073–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–4–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 241/अपील/2007–08.

.....

1–नूर मोहम्मद पिता शेरखॉ मुसलमान
2–मोहम्मद पिता शेरखॉ मुसलमान
3–नूरजहॉ पिता खाजूखॉ मुसलमान
4–जाकीरखॉ पिता खाजूखॉ मुसलमान
5–तमीजनबी बेवा बाबुखॉ मुसलमान
6–शब्बीरखॉ पिता बाबुखॉ मुसलमान
7–गॅफूरखॉ पिता बाबुखॉ मुसलमान
सभी निवासीगण बाबुखेड़ा तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–शकुरनबाई बेवा अल्लारखा मुसलमान
2–घॉसीखॉ पिता अल्लारखा मुसलमान
3–पीरखॉ पिता अल्लारखा मृतक वारिसान :–
अ–इशाक पिता पीरखॉ मुसलमान
ब–जुबेदा पिता पीरखॉ मुसलमान
स–आबीदाबी पिता पीरखॉ पति हुसैन खॉ मुसलमान
द–फरीदाबी पिता पीरखॉ पति शाकीरखॉ मुसलमान
4–कालेखॉ पिता अल्लारखा मुसलमान
5–मेहबूबखॉ पिता अल्लारखॉ मुसलमान
6–ईस्माईल खॉ पिता अल्लारखा मुसलमान
7–वली मोहम्मद पिता हुसैनखॉ मुसलमान
8–फकीर मोहम्मद पिता हुसैन खॉ मुसलमान
9–लियाकतखॉ पिता खाजूखॉ मुसलमान
सभी निवासीयान ग्राम बाबुखेडा तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/2/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन सभांग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 178 एवं 73 के अन्तर्गत उभयपक्ष के स्वामित्व की भूमि कुल किता 29 रकबा 10.07 हेक्टेयर के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 38/अ–27/05–06 दर्ज किया जाकर दिनांक 20–2–2007 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–4–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी पक्षकारों को आपत्ति, साक्ष्य व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिवत् आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन कर आपत्ति प्राप्त की गई थी और तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा कोई

आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और इस स्थिति पर बिना विचार किये आपत्ति पर विचार करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि उभयपक्ष द्वारा बटवारा स्वीकृत किया जाकर अपने अपने हिस्से की भूमियों का विक्रय किया गया है । यह भी आधार लिया गया कि आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष विक्रय पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे जिन पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने नियमों का पालन करते हुये बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना आधार के तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है।

4/ अनावेदकगण पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में सभी खहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है और न ही उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया गया है । प्रकरण में उपस्थित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी आदेश पारित करने में कोई विचार नहीं किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि सभी पक्षकारों की आपत्ति,

साक्ष्य व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिवत् आदेश पारित करें । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन सभांग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर